

टिप्पणी/Note :

- समग्र रूप से कोई श्रेणीकरण/उत्कृष्टता/कुलयोग नहीं दिया जाएगा।
No overall division/distinction/aggregate is awarded.
- जो विद्यार्थी अगले प्रयासों के लिए पंजीकरण नहीं करते हैं उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। मार्च/जुलाई में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित सागणी के अनुसार, नियमित एवं पत्राचार विद्यालय परीक्षार्थियों को अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित शुल्क के साथ विद्यालय/पत्राचार विद्यालय के माध्यम से भेजने चाहिए तथा प्राइवेट परीक्षार्थियों को सीधे बोर्ड को भेजने चाहिए। यदि परीक्षार्थी प्रयास के लिए पंजीकृत नहीं होता है और परीक्षा में शामिल होता है तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।

Candidates not having registered for subsequent attempts will not be allowed to appear at the examination. Regular and Patrachar Vidyalaya candidates should send their applications through school /Patrachar Vidyalaya and private candidates direct to the Board as per the schedule notified on Board's website for the examination to be held in March/July on the prescribed form along with the requisite fee. In case a candidate is not registered for the attempt and appears, his/her examination will be cancelled.

- जो परीक्षार्थी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल हुआ है अपने ग्रेड/(ग्रेडों)/अंकों के सत्यापन के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी द्वारा ऐसा आवेदन प्रति विषय के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ मार्च/जुलाई में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित होने की निर्धारित अवधि के अंदर भेजने चाहिए।

A candidate who has appeared at the examination conducted by the Board may apply to the Regional Office concerned for verification of his/her grade(s)/marks. Such an application must be sent by the candidate with a prescribed fee per subject as per schedule notified after the declaration of result for the examination held in March/July.

SECONDARY SCHOOL EXAMINATION

- बाह्य परीक्षा के विषयों में निम्नानुसार ग्रेड प्रदान किए गए हैं :-
The Grades have been awarded in the subjects of External Examination as follows:-

MARKS RANGE	GRADE	GRADE POINT
91-100	A1	10
81-90	A2	9
71-80	B1	8
61-70	B2	7
51-60	C1	6
41-50	C2	5
33-40	D	4
21-32	E1	---
20 and below	E2	---

- (क) प्रायोगिक रहित विज्ञान जिसके लिए अधिकतम 60 अंक हैं को छोड़कर बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। विज्ञान में, प्रायोगिक परीक्षा 40 अंक की होती है जिसके दो घटक होते हैं-20 अंक स्कूल आधारित प्रायोगिक परीक्षा के लिए तथा 20 अंक प्रायोगिक कौशल पर आधारित बाह्य परीक्षा के लिए। समाज विज्ञान तथा गणित में प्रत्येक विषय में से स्कूल आधारित निर्धारण के लिए 20 अंक उद्दिष्ट हैं। **विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी को कम से कम डी ग्रेड प्राप्त करना चाहिए।**

- (a) Maximum marks for each subject of External Examination are 100 except in the case of Science without practicals for which maximum marks are 60. In Science, Practical Examination is of 40 marks having two components - 20 marks for School based Practical Examination and 20 marks for Practical Skill based External Examination. In Social Science and Mathematics 20 marks are earmarked for School based assessment in each subject. **To qualify in a subject, a candidate must obtain minimum of grade D.**

- (ख) जिन परीक्षार्थियों ने बाह्य परीक्षा के विषयों में ग्रेड ई1 या ई2 प्राप्त किया है उन विषयों में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अगले प्रयास/प्रयासों के द्वारा अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा।

- (b) Those candidates who have obtained grade E1 or E2 in the subjects of External Examination shall have to improve their performance through subsequent attempt(s) to qualify the subjects(s).

- (ग) नियमित परीक्षार्थियों के संबंध में कार्य अनुभव, कला शिक्षा तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा का निर्धारण आंतरिक रूप से विद्यालयों द्वारा किया जाना है तथा इन विषयों में उपलब्धियों को विद्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रमाण पत्र में दर्शाया जाएगा। प्राइवेट, पत्राचार विद्यालय तथा प्रौढ़ विद्यालय के परीक्षार्थियों को स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रमाण पत्र से छूट है।

- (c) Work Experience, Art Education and Physical and Health Education are assessed internally by the schools for regular candidates and achievements in these subjects would be reflected in the CERTIFICATE OF SCHOOL BASED EVALUATION to be issued by the school. Private, Patrachar Vidyalaya and Adult School candidates are exempted from CERTIFICATE OF SCHOOL BASED EVALUATION.

- (क) अतिरिक्त छठा विषय लेने वाले विद्यार्थी के मामले में निम्नलिखित मापदण्ड लागू होंगे :
(a) In respect of candidates offering an additional 6th subject, the following norms shall apply :

अतिरिक्त विषय के रूप में ली जाने वाली भाषा में अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में विद्यार्थी उस भाषा को प्रतिस्थापित कर सकता है बशर्ते कि प्रतिस्थापन के बाद विद्यार्थी के पास अंग्रेजी अथवा हिन्दी एक भाषा के रूप में हो।

A language offered as an additional subject may replace a language in the event of a candidate not qualifying in the same provided after replacement the candidate has English or Hindi as one of the languages.

- (ख) अर्हक प्रमाण पत्र के लिए पात्र बनने के लिए परीक्षार्थी को अध्ययन की योजना के अनुसार अतिरिक्त छठे विषय को छोड़कर सभी विषयों में कम से कम ग्रेड 'डी' प्राप्त करना चाहिए।
- (b) To be eligible for Qualifying Certificate, a candidate must obtain minimum of Grade D in all the subjects excluding additional 6th subject as per Scheme of Studies.
- (ग) अर्हक प्रमाण पत्र प्राप्त कक्षा 11 वीं में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- (c) Those awarded a Qualifying Certificate shall be eligible for admission in Class XI.

SENIOR SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION

- निम्नलिखित नौ बिन्दु पैमाने पर श्रेणीकरण किया गया है :-
The Grades have been awarded on a Nine-Point Scale as follows :-

- ए-1 : सर्वोत्कृष्ट 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- A-1 : Top 1/8th of the passed candidates
- ए-2 : तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- A-2 : Next 1/8th of the passed candidates
- बी-1 : तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- B-1 : Next 1/8th of the passed candidates
- बी-2 : तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- B-2 : Next 1/8th of the passed candidates
- सी-1 : तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- C-1 : Next 1/8th of the passed candidates
- सी-2 : तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- C-2 : Next 1/8th of the passed candidates
- डी-1 : तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- D-1 : Next 1/8th of the passed candidates
- डी-2 : तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- D-2 : Next 1/8th of the passed candidates
- ई : अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- E : Failed candidates

Prepared by.....
Checked by.....
Verified by.....

- बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं। प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 33% अंक हैं। लिखित व प्रयोगात्मक दोनों पत्रों वाले विषयों में लिखित में 33% प्रयोगात्मक में 33% तथा योग में 33% अंक अवश्य होना चाहिए।

Maximum marks for each Subject of external examination are 100. Minimum pass marks in each subject are 33%. In case of a subject involving Practical work, candidate must obtain 33% marks in theory and 33% marks in practical separately in addition to 33% marks in aggregate in order to qualify in that subject.

- सामान्य अध्ययन/सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम (जी.एफ.सी), कार्यानुभव/सामान्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम (व्यावसायिक क्षेत्र के लिए नहीं है) और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि आंतरिक परीक्षा के विषय हैं और इनका श्रेणीकरण स्कूल में ली गई परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है। पत्राचार विद्यालय/प्राइवेट/प्रौढ़ स्कूलों के परीक्षार्थियों के लिए आंतरिक परीक्षा के विषयों में छूट प्राप्त है।

General Studies/General Foundation Course (GFC), Work Experience/ Generic Vocational Course (not applicable to Vocational Stream) and Physical & Health Education are subjects of internal examination and the Grades are based on internal assessment by the schools. Patrachar Vidyalaya/Private/Adult School candidates are exempted from subject(s) of Internal examination.

- यदि परीक्षार्थी की छूट प्राप्त नहीं है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में कम से कम डी-2 ग्रेड अवश्य प्राप्त करें और पांच बाह्य परीक्षा के प्रत्येक विषय में 33% अंक या डी-2 ग्रेड अवश्य प्राप्त करें।

To pass the examination, a candidate must obtain atleast Grade D-2 in all subjects of internal assessment unless the candidate is exempted and 33% marks or Grade D-2 in each of the five subjects of external examination.

- अध्ययन योजना के अनुसार बाह्य परीक्षा के पांच विषय होंगे। इनमें या तो दो भाषाएं और तीन वैकल्पिक विषय होंगे अथवा एक भाषा और चार वैकल्पिक विषय.

Five subjects of external examination are either two languages and three electives or one language and four electives as per Scheme of Studies.

- व्यावसायिक पाठ्यक्रम तीन वैकल्पिक विषयों के पैकेज है। और ये अनिवार्य हैं।
Vocational Courses are packages of three electives and are compulsory.

टिप्पणी : उपर्युक्त नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

Note : The rules indicated above are subject to change from time to time.

नवीनतम जानकारी के लिए सी.बी.एस.ई. की वेबसाइट देखें।

For latest updates visit CBSE website, www.cbse.gov.in

1-2019/3588
Pr 16/5/19
2019/1237
15/5/20